कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला कटनी (म.प्र.)

क्र. / डी.डी.आर.सी. / 2023 / 724 कटनी दिनांक 08.09.2023

/ / विज्ञप्ति / /

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र.2475 / 13062 / 16 / 23 / 26–2 दिनॉक 23 अगस्त 2023 के परिपालन में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, कटनी. के अंतर्गत एक वर्ष हेतु संविदा आधार पर निम्नानुसार रिक्त पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है–

क्र.	पद नाम	पदों की संख्या	वर्ग	शैक्षणिक योग्यता / अनुभव	मानदेय
1.	**क्लीनिकल मनोचिकित्सक / पुर्नवास मनोचिकित्सक**	01	अनारक्षित	क्लीनिकल मनोचिकित्सक 1. क्लीनिकल मनोचिकित्सा में एम.फिल. 2. क्लीनिकल मनोचिकित्सा में व्यावसायिक डिप्लोमा पुर्नवास मनोचिकित्सक 1. पुर्नवास मनोचिकित्सा में एम0फिल0 2. पुर्नवास मनोचिकित्सा में ग्रेजुएटपोस्ट डिप्लोमा (पीजीडीआरपी)	**20500**
2.	सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट / ऑडियोलॉजिस्ट	01	अनारक्षित	ऑडियोलॉजी और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी (बीएएसएलपी) में स्नातक या बी.एससी स्पीच एंड हियरिंग	**20500**
3.	प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट (टेक्नीशियन)	01	अनारक्षित	पी.एंड ओ. में डिप्लोमा या 3 साल के अनुभव के साथ पी.एंड. ओ. में प्रमाण पत्र	**16000**
4.	हियरिंग अस्सिटेंट / जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट / ईयर मोल्ड टेक्नीशियन	01	अनारक्षित	श्रवण यंत्रों की जानकारी / मरम्मत / कर्ण मोल्ड बनाने के साथ वाक् एवं श्रवण में डिप्लोमा **स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन** पात्रता हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा (डीएचएलएस) **ईयर.मोल्ड तकनीशियन** पात्रता हियरिंग एयड रिपेयर और ईयर मोल्ड प्रौद्योगिकी मे ं डिप्लोमा (डीएचएआरईएमटी)	**16000**
5.	मल्टीपरपज रिहेब्लीटेशन वर्कर	01	अनारक्षित	बहुउददेशीय पुर्नवास कार्यकर्ता पात्रता समुदाय आधारित पुर्नवास (पीजीडीसीबीआर) में पोस्ट ग्रेजुएट / समुदाय आधारित पुर्नवास (डीसीबीआर) / समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) / एमआरडब्ल्यू में डिप्लोमा	**14500**
6.	वोकेश्नल काउंसलर कम्प्यूटर अस्सिटेंट	01	अनारक्षित	व्यावसायिक पुर्नवास में डिप्लोमा (डीवीआर) / बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीसीजीसी) / पुर्नवास विज्ञान में स्नातक	**14500**
7.	एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर	01	अनारक्षित	स्नातकोत्तर एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव	**18000**

पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदों का विवरण, आवश्यक अर्हता / योग्यता एवं निर्धारित मानदेय एवं अन्य विस्तृत दिशा निर्देश कटनी जिले की एन.आई.सी. द्वारा विकसित वेबसाईट www.katni.nic.in तथा कलेक्टोरेट कटनी के नोटिस बोर्ड पर अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कटनी कक्ष क्रमांक 16 भू–तल में दिनांक 26 / 09 / 2023 तक सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किये जावेंगें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सचिव
जिला दिव्यांग एवं पुर्नवास केन्द्र
जिला कटनी म0प्र0

–:निर्धारित शर्तें:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर पर 01 वर्ष के लिये किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस एवं एक माह का वेतन/मानदेय पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। 01 वर्ष पश्चात सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने पर समिति पुनः सेवा में वृद्धि कर सकेगी।
2. आवेदक की आयु 01.09.2023 को 18 वर्ष एवं अधिकतम शासन के नियमानुसार होगी, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को शासन द्वारा प्रदत्त आयु सीमा में छूट दी जावेगी।
3. संविदा पर नियुक्ति विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार अपनी पूर्ण जानकारी प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य होगा। कम योग्यता वाले आवेदन पत्र एवं शर्ते पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदन स्वयं निरस्त माना जावेगा। विशेष योग्यता वाले पदों में मान्यता प्राप्त संस्था के प्रमाण पत्र/पत्रोपाधि अनिवार्य होगी।
5. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं संबंधी प्रमाा पत्रों में किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सेवाएं समाप्त कर दी जावेगीं।
6. आवेदक को आवेदन के साथ अपना पूर्ण पता लिखा हुआ 40 रूपये के रजिस्टर्ड डाक टिकट सहित लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है, ताकि साक्षात्कार हेतु सूचना प्रेशित की जा सकें। साक्षात्कार में उपस्थित होने पर काई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
7. चयनित उम्मीदवार को मुख्यालय पर ही रहना होगा। चयनित उम्मीदवार को समिति द्वारा निष्पादित अनुबंध संविदा नियमों का पालन करना होगा तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करना होगा।
8. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी म0प्र0 सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 प्रभावशील होगा।
9. संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगें।
10. नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताएं रद्द कर दी जावेगी।
11. नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने दिनांक से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
12. नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी का फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
13. नियुक्ति की प्रक्रिया– जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के आधार पर साक्षात्कार के उपरांत तैयार मैरिट के आधार पर की जावेगी। साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित है।
14. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26/09/2023 तक है उक्त दिनांक तक आवेदन पत्र कमरा नंबर 16 जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कलेक्टोरेट कैम्पस में सायं 05:00 बजे तक स्वयं अथवा डाक द्वारा जमा किये जा सकते है। दिनांक 26/09/2023 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
15. अधिक जानकारी के लिये कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक 16 सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संपर्क किया जा सकता है।

सचिव
जिला दिव्यांग एवं पुर्नवास केन्द्र
जिला कटनी म0प्र0